(2)

प्रपत्र–2

भाग–I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव –/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :– **जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित कि0नी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600. कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। :– संलग्न है।

(ग) परियोजना की लागत। :– 657.00 लाख

(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। :– अन्य कोई वैकल्पिक भूमि का उपलब्ध न होना।

(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) :– संलग्न है।

(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। :– मोटर मार्ग के निर्माण से कु ाल/अकु ाल श्रमिकों को रोजगार हेतु लगभग 2000 मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :–

आरक्षित वन भूमि	:–	शून्य
सिविल सोयम भूमि	:–	4.900
मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि	:–	0.759
योग	:–	5.659 है0

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– लागू नहीं है।

(क) परिवारों की संख्या :– शून्य

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के :– शून्य

(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) :– शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) :– नही।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :– संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। :– संलग्न है।

दिनॉक ....

स्थान ....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम– ....

कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार पौडी गढवाल	सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार पौडी गढवाल	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, कोटद्वार पौडी गढवाल

(9)

प्रस्ताव की क्रम संख्या..................

③

प्रपत्र 3

परियोजना का नाम :— जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग–2

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :— कि०मी० 57 के टी02 (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग

i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र :— उत्तराखण्ड

(ii) जिला :— पौड़ीगढ़वाल

(iii) जिला वन प्रभाग :— लैंसडौन वन प्रभाग

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :— ....

8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति :—

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः :—

(i) वन का प्रकार :— सिविल ना० भूमि

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व :— प०/. संकाप

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना :—

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा :—

10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण :—

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : :— 2 Km

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : :—

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : :—

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) :—

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :— नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) :–

(v) क्या क्षेत्र मे वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :–

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :– नहीं

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें : :–

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति आवश्यक है. :– अपरिहार्य एवं आवश्यक है

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश कि :–

15. **किए गए अतिकमण के ब्यौरे** : :–

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) :–

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लि :– नहीं

(iii) क्या अतिकमण मे कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :–

(iii) क्या अतिकमण मे कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) :–

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– संलग्न है.

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : :–

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। :– संलग्न है.

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। :– हां

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणो के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों :– हां

दिनॉक 16-12-15

स्थान लैंसडाउन

हस्ताक्षर [signature]

नाम प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडौन (गढ़वाल)

सरकारी मोहर